हैदराबाद में 20 दिसंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित

प्राधिकरण की 128वीं बैठक

MINUTES OF THE 128th

MEETING OF THE AUTHORITY

held on 20th December, 2024 at 11.00 AM at Hyderabad

उपस्थितः

अध्यक्ष	श्री देबाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री राजय कुमार सिन्हा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री सत्यजीत त्रिपाठी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री दीपक सूद
अंशकालिक सदस्य	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला (आभासी पद्धति)
अंशकालिक सदस्य	सीए रणजीत कुमार अग्रवाल

साथ ही उपस्थितः

पदनामित अधिकारी	श्रीमती बी. पद्मजा
बोर्ड सचिवालय	श्री रोनंकी वेंकटेश

Present:

Chairman	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Shri Rajay Kumar Sinha
Whole-time Member	Shri Satyajit Tripathy
Whole-time Member	Shri Deepak Sood
Part-time Member	Dr. Maruthi Prasad Tangirala (Virtual Mode)
Part-time Member	CA Ranjeet Kumar Agarwal

Also present:

Designated Officer	Smt. B Padmaja
Board’s Secretariat	Shri Ronanki Venkatesh

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष महोदय ने संगृहीत प्रीमियम के तौर पर उद्योग के कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया जो नवंबर 2024 तक रु. 7.30 लाख करोड़ था और जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 11% की वृद्धि दर दर्शाता है। जबकि जीवन बीमाकर्ताओं ने 12% पर वृद्धि की है, वहीं साधारण बीमाकर्ताओं ने 9% पर वृद्धि दर्शाई है।

उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (एयूएम) सितंबर 2024 तक पिछले वर्ष के रु. 64 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु. 72 लाख करोड़ हैं। दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार एफडीआई अंतर्वाह लगभग रु. 87,000 करोड़ है जहाँ बीमाकर्ता रु. 82,000 करोड़ और मध्यवर्ती रु. 5,000 करोड़ लाये हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ईक्विटी और शेयर प्रीमियम पिछले वर्ष के रु. 1.13 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु. 1.25 लाख करोड़ है।

आगे उन्होंने की जा रही विनियामक परिदृश्य की व्यापक समीक्षा का संक्षिप्त उल्लेख किया जिसमें नियम-आधारित से सिद्धांत-आधारित विनियमों में अंतरण विद्यमान है, जिसमें सभी विनियमों में सावधि विधि-खंड (सनसेट क्लाज़) प्रारंभ करने के साथ ही, विनियमों की कुशलता, अंगीकरण-योग्यता में वृद्धि करने और आवधिक समीक्षा करने के लिए उपाय लागू किये गये हैं। व्यवसाय करने में सुगमता को सुसाध्य बनाने और विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के भार को कम करने के लिए 167 से अधिक परिपत्रों और 82 विनियामक विवरणियों को निरस्त किया गया है, जबकि 78 विनियम समेकित किये गये हैं और अब तक उनकी संख्या को घटाकर 28 किया गया है। इन परिवर्तनों में शामिल हैं, विनियामक विवरणियों का एक मास्टर परिपत्र के रूप में समेकन, अनुपालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा बीमाकर्ताओं को एक केन्द्रीकृत संदर्भ स्थान उपलब्ध कराना। बीमा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत प्रगति का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र का उन्नयन करने तथा भविष्य के लिए इस क्षेत्र को तैयार करने के लिए प्रयास जारी हैं।

तदुपरांत, कार्यसूची की मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

2. आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में परिचालन द्वारा कार्यसूची नोट

2.1 यह प्रस्तुत किया गया कि आईआरडीएआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में एक परिपत्र कार्यसूची को अनुमोदन के लिए परिचालित किया गया। प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने उक्त परिपत्र

संकल्प के लिए सहमति दी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आईआरडीएआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 दिसंबर 2024 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई।

2.2 प्राधिकरण ने उक्त परिपत्र कार्यसूची मद पर ध्यान दिया तथा उससे संबंधित संकल्प का अंगीकरण किया गया।

3 आईआरडीएआई (बैठकें) (संशोधन) विनियम, 2024

3.1 प्राधिकरण की बैठकों के संचालन में स्पष्टता और कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ आईआरडीएआई (बैठकें) विनियम, 2000 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया।

3.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

4. आईआरडीएआई (बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन) विनियम, 2024

4.1 बीमा सलाहकार समिति के परामर्शदात्री कार्यों में स्पष्टता और कुशलता की वृद्धि करने के लिए आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2000 में संशोधनों के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया।

4.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

5. आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन) विनियम, 2024

5.1 पुनर्बीमा सलाहकार समिति की बैठकों के संचालन की कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019 में संशोधनों के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया।

5.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

6. आईआरडीएआई (विनियमित संस्थाओं द्वारा सूचना का अनुरक्षण और प्राधिकरण द्वारा सूचना की साझेदारी) विनियम, 2024

6.1 एक प्रस्तुतीकरण किया गया कि निम्नलिखित विनियमों का संविलयन करने का प्रस्ताव हैः

1. आईआरडीए (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012
2. आईआरडीएआई (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
3. आईआरडीएआई (जाँच और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम सूचना) विनियम, 2020

6.2 इस बात पर बल दिया गया कि उक्त तीनों विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक पहलू को विभिन्न अध्यायों में सम्मिलित किया गया। समेकित विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये।

6.3 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

7. आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2024

7.1 विनियामक सैंडबाक्स संबंधी विनियमों की समीक्षा पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया। इसे एक सिद्धांत आधारित विनियम बनाने के लिए उक्त विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये जिनके द्वारा एक मास्टर परिपत्र के रूप में परिचालनगत विषयों संबंधी शर्तों को जारी करने का प्रस्ताव है।

7.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

सारणी मदें

शेयर अंतरण और बीमा मध्यवर्तियों के समामेलन के अनुमोदन से संबंधित वर्तमान प्रत्यायोजन का संशोधन

1. यह प्रस्तुत किया गया कि निम्नलिखित विनियमों में आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शेयरों के अंतरण और बीमा मध्यवर्तियों के समामेलन के अनुमोदन से संबंधित वर्तमान प्रत्यायोजन के संशोधन के लिए एक प्रस्ताव किया गया थाः
   i. आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018
   ii. आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
   iii. आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015
   iv. आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016
   v. आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017

2. उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

The Chairman extended a warm welcome to all the Members present.

In his brief opening remarks, the Chairman touched upon the industry's performance in terms of premium garnered upto November 2024 which was ₹ 7.30 lakh crore with a growth rate of 11% over the corresponding period previous year. While the life insurers grew at 12%, general insurers grew at 9%.

The Assets Under Management (AUM) of the industry upto September, 2024 are around ₹72 lakh crore as compared to ₹ 64 lakh crore last year. The FDI inflow as on December 2024 is around ₹ 87,000 crore with Insurers bringing in ₹82,000 crore and intermediaries bringing in ₹ 5,000 crore. The equity and share premium as on 31st March 2024 is around ₹ 1.25 lakh crore as compared to ₹ 1.13 lakh crore last year.

He further briefly touched upon comprehensive review being carried out of regulatory landscape wherein there is a shift from a rule-based to principle-based regulations, introducing measures to enhance efficiency, adaptability and periodic review of regulations with the introduction of the sunset clause in all the regulations. To facilitate ease of doing business and reduce compliance burden on the regulated entities, over 167 circulars and 82 regulatory returns have been repealed, while 78 regulations have been consolidated and reduced to 28 till date. These changes include the consolidation of regulatory returns into a single master circular, simplifying compliance processes and providing insurers with a centralized reference point. Efforts to leverage the technological advancements in the insurance sector and making the sector future ready are underway.

Thereafter, agenda items were taken up.

2 Agenda Note by Circulation on IRDAI's Annual Report 2023-24

2.1 It was submitted that a circular agenda on IRDAI Annual Report 2023-24 was circulated for approval. All Members of the Authority had consented to the said circular resolution. It was also submitted that the IRDAI Annual Report 2023-24 was placed before both the Houses of Parliament in December 2024.

2.2 The Authority noted the circular agenda item and the resolution adopted thereon.

3 IRDAI (Meetings) (Amendment) Regulations, 2024

3.1 A presentation was made on amendments proposed to the IRDA (Meetings) Regulations, 2000 with the objective to enhance clarity and efficiency in conduct of the meetings of the Authority.

3.2 The agenda was approved.

4 IRDAI (Insurance advisory Committee) (Amendment) Regulations, 2024

4.1 A presentation was made on amendments to IRDA (Insurance Advisory Committee) Regulations, 2000 to enhance clarity and efficiency in advisory functions of the Insurance Advisory Committee.

4.2 The agenda was approved.

5 IRDAI (Re-insurance Advisory Committee) (Amendment) Regulations, 2024

5.1 A presentation was made on amendments to the IRDAI (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019 with the objective to enhance efficiency of the conduct of re-insurance advisory committee meetings.

5.2 The agenda was approved.

6 IRDAI (Maintenance of Information by regulated entities and sharing of information by the Authority), Regulations, 2024

6.1 A presentation was made that the following regulations were proposed to be merged:

1. IRDA (Sharing of Confidential information concerning domestic or foreign entity) Regulations, 2012
2. IRDAI (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015
3. IRDAI (Minimum Information Required for Investigation and Inspection) Regulations, 2020

6.2 It was highlighted that each of the aspects under the three regulations were covered in different chapters. Changes proposed in the consolidated regulations were presented.

6.3 The agenda was approved.

7 IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2024

7.1 A presentation was made on review of the regulations on Regulatory Sandbox. Changes proposed to the Regulations to make it a principle based regulation whereby stipulations on operational matters are proposed to be issued as a master circular were presented.

7.2 The agenda was approved.

Table Items

Revision of existing delegation relating to approval of share transfer and amalgamation of Insurance Intermediaries

1. It was presented that there was a proposal for revision of existing delegation relating to approval of share transfer and amalgamation of Insurance Intermediaries under sub-section (1) of section 23 of IRDA Act, 1999 in the following Regulations:

i. IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018
ii. IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
iii. IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015
iv. IRDAI (Third Party Administrators – Health Services) Regulations, 2016
v. IRDAI (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2017

2. The agenda was approved.